रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937
No. 621] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2015

का.आ. 815(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ बारहवां संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में,- "49. योजना आयोग" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् : -

"49. नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) ";

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(I) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. कृषि और सहकारिता विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 53 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"54. राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए)। ";

(II) "योजना मंत्रालय" शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : —

" नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) के संबंध में संसद के प्रति उत्तरदायित्व । ";

(III) "योजना आयोग" शीर्षक और प्रविष्टि 1 से 13 (दोनों सम्मिलित) के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

1. नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) :

(i) क. राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना

ख. सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना

ग. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना

घ. जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना

ड. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभांवित ना हो पाने का जोखिम हो

च. रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनीटर करना । निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार में उपयोग किए जाएंगे जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी हैं

छ. महत्वपूर्ण पणधारियों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना

ज. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृतिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना

झ. विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना

ञ. अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ पणधारियों तक पहुंचाने में भी मदद करे

ट. आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके

ठ. कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर

ड. राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना

(ii) भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

(iii) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी)

2. नीति आयोग योजना आयोग का हित – उत्तरवर्ती होगा ।" ।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

———

[फा.सं. 1/21/1/2015-मंत्रि.]
संयुक्ता राय, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2015

S.O. 815(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twelfth Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in THE FIRST SCHEDULE, for the heading "49. Planning Commission (Yojana Ayog)", the following heading shall be substituted, namely:—

"49. NITI Aayog (National Institution for Transforming India)";

(2) in THE SECOND SCHEDULE,–

(I) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)", after entry 53, the following entry shall be inserted, namely:-

"54. National Rainfed Area Authority (NRAA).";

(II) under the heading "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)", for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Responsibility to Parliament in regard to the NITI Aayog (National Institution for Transforming India).";

(III) for the heading "PLANNING COMMISSION (YOJANA AYOG)" and the entries 1 to 13 (both inclusive), the following heading and entries shall be substituted, namely:—

"NITI AAYOG (NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA)

1. NITI Aayog (National Institution for Transforming India):

(i) a. To evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of States in the light of national objectives

b. To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis, recognizing that strong States make a strong nation

c. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government

d. To ensure, on areas that are specifically referred to it, that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy

e. To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefitting adequately from economic progress

f. To design strategic and long term policy and programme frameworks and initiatives, and monitor their progress and their efficacy. The lessons learnt through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course corrections

g. To provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-minded Think Tanks, as well as educational and policy research institutions

h. To create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners

i. To offer a platform for resolution of inter-sectoral and inter-departmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda

j. To maintain a state-of-the-art Resource Centre, be a repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development as well as help their dissemination to stake-holders

k. To actively monitor and evaluate the implementation of programmes and initiatives, including the identification of the needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery

l. To focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programmes and initiatives

m. To undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development agenda, and the objectives mentioned above

(ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI)

(iii) National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD)

2. The NITI Aayog is the successor in interest to the Planning Commission.".

PRANAB MUKHERJEE
President

[F. No. 1/21/1/2015-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.